**<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>**

**<u>अपील/टी ए/6448/2001/सीकर</u>**

1. हडमानाराम 2. नाथूराम 3. रामेश्वर 4. मंगलाराम पुत्रगण भैरू जाति जाट निवासी माण्डोता तहसील व जिला सीकर
5. मु. बरजी बेबा भैरू जाट (मृतक दौराने अपील)

अपीलार्थीगण

**बनाम**

1. चतराराम पुत्र दीपा जाट(मृतक दौराने अपील)

1/1. खुमानाराम 1/2. मोहनराम 1/3 गोपाल पुत्रान स्व.श्री चतराराम जाति जाट निवासी माण्डोता तहसील व जिला सीकर

1/4. मु.पेपा पुत्री स्व. श्री चतराराम धर्मपत्नी श्री हणमान जाति जाट निवासी बानूडा तहसील दातारामगढ जिला सीकर

1/5. मु.तालु पुत्री स्व.श्री चतराराम धर्मपत्नी श्री खुमाणराम जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सीकर

2. तुलछा पुत्र गणेश जाट(मृतक दौराने अपील)

2/1. मु. मोहरी बेबा स्व. श्री तुलछाराम

2/2. पेपा राम पुत्र स्व.श्री तुलछाराम

2/3. अर्जुन राम पुत्र स्व.श्री तुलछाराम

2/4. भागू राम पुत्र स्व.श्री तुलछाराम

2/5. नानूराम पुत्र स्व.श्री तुलछाराम

2/6. दानाराम पुत्र स्व.श्री तुलछाराम

जाति जाट निवासी माण्डोता तन कंवरपुरार तहसील व जिला सीकर

**3.** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

**खण्ड पीठ**
**श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष**
**श्री धूकलराम कसवां सदस्य**

**उपस्थित**
श्री हेमन्त सोगानी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी

**निर्णय**

**दिनांकः**

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 12-9-01 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रत्यर्थी तुलछा के विरूद्ध एक वाद रेकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये वादी की शहादत दर्ज रेकार्ड कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 27-7-93 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 चतरा राम पुत्र दीपा ने राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12-9-01 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 27-4-93 को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 चतराराम को उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि उसके कोई हक व अधिकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से प्रभावित नहीं होते थे। इस कारण उसके द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं थी। अपीलार्थी की खातेदारी का रकबा 1बीघा 15विस्वा कम हुआ था। यह रकबा तुलछा पुत्र गणेश की खातेदारी की भूमि में सम्मिलित कर दिया था और यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णतया सिद्ध था कि खसरा नम्बर 105 रकबा 31 बीघा के नये खसरा नम्बर 392,393रकबा 8–40हेक्टर दर्ज किये हैं जो मूल रकबे से ज्यादा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अधिक रकबे को कम कर 0–35हेक्टर अपीलार्थी वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया था,वह विधिवत था जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उसे बिना किसी आधार के निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने में विधिक भूल की है। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के आदेश की नकल,नामान्तरकरण की नकल व तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 30–5–2001 की नकल पेश की गई थी और न्यायालय ने उसे रेकार्ड पर लेने का आदेश भी प्रदान कर दिया था किन्तु अपील का निर्णय करते समय किसी भी साक्ष्य को नहीं देखा और न ही उसका विवेचन किया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि भोलू की बेबा भोलू के मरने के बाद चतराराम के नाते चली गई थी और

नाते चले जाने के बाद उसके समस्त अधिकार समाप्त हो गये थे। इस कारण नारायणी का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं था न ही वाद में आवश्यक पक्षकार थी तथा चतरा से नाता करने के पश्चात ही उसके सन्तानें उत्पन्न हुई थी और यह तथ्य तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 30–5–01 से पूर्णतया सिद्ध था। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी इसलिये न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये था। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर का निर्णय निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि चतरा आधे हिस्से का सहकाश्तकार था। विचारण न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया और अकेले तुलछा को खातेदार मानते हुये निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी में तुलछा के साथ आधा हिस्सा श्रीमती नारायणी का दर्ज है जो चतरा की पत्नी थी। सहकाश्तकार तुलछा के साथ उसका बटवारा नहीं हुआ था। श्रीमती नारायणी भोलू की पत्नी थी। भोलू की मृत्यु के बाद उसने चतरा से नाता कर लिया था जिससे उसके पुत्र सन्तानें हुई हैं। नारायणी की मृत्यु के बाद वे इस भूमि के खातेदार हैं। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये अपील खारिज की जावे।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के पूर्वज भैरू पुत्र दुला ने प्रत्यर्थी तुलछा को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है। अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2017–20 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 105/2 रकबा 31 बीघा नारायणी बेबा भोलू एवं तुलछा पुत्र गणेश के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलार्थीगण का यह कथन रहा है कि भोलू उनका चाचा था जिसके कोई वारिस नहीं था। भोलू की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस वही थे। इसलिये नारायणी को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण का यह कथन रहा है कि भोलू की मृत्यु के बाद नारायणी ने प्रत्यर्थी चतरा से नाता कर लिया था। भोलू ने नारायणी की दो पुत्रियां पेपू एवं तालू थी एवं चतरा से भी उसके तीन पुत्र हुये हैं। जमाबन्दी में अंकित इन्द्राजात के अनुसार वादग्रस्त आराजी नारायणी बेबा भोलू के नाम भी सहकाश्तकारी में दर्ज थी। इस कारण नारायणी इस वाद में आवयक पक्षकार थी। उसे वाद में पक्षकार बनाये बिना केवल तुलछा के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर विचारण न्यायसालय ने अपीलार्थीगण के पक्ष में एकतरफा में डिक्री पारित की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों ही पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि नारायणी ने प्रत्यर्थी चतरा से नाता कर लिया था। भोलू की मृत्यु के उपरान्त उसके हिस्से की आधी भूमि की खातेदारी नारायणी की थी एवं नारायणी की मृत्यु के बाद यह भूमि उसके पति पुत्रों एवं पुत्रियों की होती है। जिसमें अपीलार्थीगण का हक व हिस्सा नहीं था। इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य था जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई का निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत हैं। इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

९. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(धूकलराम कसवां)**
**सदस्य**

**(वी.श्रीनिवास)**
**अध्यक्ष**